संख्या-१४३/२०१६/2751/52-1-2016-17(सा)/16टी०सी०

प्रेषक,

**श्रीप्रकाश सिंह,**

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1** **लखनऊ, दिनांक २६ दिसम्बर, 2016**

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-रामपुर में निर्माणाधीन आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर के निर्माण हेतु **लागतवृद्धि** की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-4211/52-01-2011-06(एम०एस०डी०पी०)/11टी०सी०, दिनांक 12.12.2011 द्वारा जनपद-रामपुर में निर्माणाधीन आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर के निर्माण हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए क्रमश: रू० 393.30 लाख एवं रू० 399.72 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

2- उपरोक्त परियोजनाओं के बारे में लागतवृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का पी०एफ०ए०डी० द्वारा परीक्षण करते हुए निम्नवत् लागतवृद्धि की धनराशि की संस्तुति की गयी है:-

(रू० लाख में)

| क्र० | परियोजना | स्वीकृत इकाई लागत | पी०एफ०ए०डी० द्वारा पुनरीक्षित लागत | अन्तर/लागतवृद्धि की धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आई०टी०आई०, स्वार का निर्माण | 393.30 | 544.79 | 151.49 |
| 2 | आई०टी०आई०, बिलासपुर का निर्माण | 399.72 | 514.77 | 115.05 |
| | योग | **793.02** | **1059.56** | **266.54** |

**2-** अत: उपरोक्त आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर के भवन निर्माण हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा कुल अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार कार्य करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तदनुसार लागतवृद्धि की धनराशि रू0 2,66,54,000/-(रू0 दो करोड़ छाछठ लाख चौव्वन हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित

http://shasanadesh.up.nic.in

बजट रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 2551.10 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

2- उक्त परियोजनाओं हेतु भविष्य में लागतवृद्धि की कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तवत् अनुमोदित लागत से ही प्रश्नगत आई०टी०आई० भवनों का निर्माण कार्य कराया जायेगा । इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

3- प्रायोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-4211/52-01-2011-06(एम०एस० डी०पी०)/11टी०सी०, दिनांक 12.12.2011 द्वारा लगायी गयी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

5- पुनरीक्षित लागत के आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

6- जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0105-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0 100/रा0 0-के0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालयज्ञा-प संख्या-1-0बी/2016/1-/746दस में निहित प्राविधानों के अनुसार 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016-जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Unicode ITI G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2751(1)/बावन-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-रामपुर के आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर का निर्माण मानकानुसार सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

7- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर के निर्माण का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई०टी०आई०, स्वार एवं आई०टी०आई०, बिलासपुर के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें ।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://sirajanadesh.up.nic.in